कार्यालय नगर निगम देहरादून

(सार्वजनिक सूचना)

उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग संख्या–84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 देहरादून दिनांक 16 फरवरी–2021 की जारी अधिसूचना में प्रतिबंधित प्लास्टिक को किसी भी वाणिज्यि प्रतिष्ठानों/संस्थानों में किसी भी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरीबैग (हैन्डल के साथ अथवा बिना हैन्डल)/थर्माकोल/स्टायरोफोम सामान से बनी एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे–प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कांटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिरर आदि चाही किसी भी आकार/प्रकार के हों एवं खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग के हों क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, परिवहन, आपूर्ति एवं उपयोग, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिबंधित है, जिसका उलंघन करने की दशा में अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार जुर्माना वसूल किया जायेगा:–

उलंघन कर्ता	जुर्माने की धनराशि
उत्पादनकर्ता	रू0 5.00 लाख
परिवहनकर्ता	रू0 2.00 लाख
खुदरा विक्रेता/विक्रेता	रू0 1.00 लाख
व्यक्तिगत उपयोग	रू0 100/–
पुनः उलंघन पाये जाने की दशा में सम्बन्धित उलंघनकर्ता पर उपरोक्त का दोगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।	

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074:फैक्स– 0135–2651060: ई–मेल– (nagarnigam.ddn@gmail.com)

पत्रांक: 2100 (प)

दिनांक: 13/01/23

प्रतिलिपि:–

1. सम्पादक, हिन्दुस्तान पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क बिल के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
2. सम्पादक, [illegible] समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क बिल के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
3. आई0टी0ऑफिसर, नगर निगम, देहरादून, को इस निर्देश के साथ कि उक्त सार्वजनिक सूचना को सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. नगर निगम, देहरादून नोटिस बोर्ड पर चश्पा हेतु।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।